

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड  
(वाणिज्य शाखा)

JPRS-550

क्रमांक/जडि/मुअ(वा)/सी-1/एफ4(382)/प्रे. 1279 दिनांक 8-6-09

आदेश :-

विषय :- कृषि कनेक्शन के अनाधिकृत बढ़े हुए भार की "स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना"।

कृषि क्षेत्रों में उपभोक्ताओं द्वारा अनाधिकृत भार बढ़ाने से विद्युत खपत स्वीकृत भार से अधिक हो रही है। विद्युत कोटे का आवंटन स्वीकृत भार के आधार पर किया जाता है जिसमें अनाधिकृत भार वृद्धि से कमी एवं विसंगतियाँ उत्पन्न हो रही हैं तथा राजस्व की हानि भी हो रही है।

अतएव इस संबंध में पूर्ण विचार कर यह निर्णय लिया गया है कि कृषि उपभोक्ताओं को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से "स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना" लागू की जाये। तदानुसार कृषि उपभोक्ता यदि अपने कनेक्शन के स्वीकृत भार में अनाधिकृत भार वृद्धि की स्वैच्छिक घोषणा करने का इच्छुक है तो ऐसे उपभोक्ताओं से कोई पेनल्टी राशि नहीं ली जाएगी तथा बढ़े हुए भार के लिये मात्र धरोहर राशि लेकर भार को नियमित कर दिया जाएगा। यह योजना उसी कुएँ पर लगी मोटर के भार में वृद्धि करने वाले कृषकों पर लागू है। उपभोक्ता की बिलिंग बढ़े हुए भार के अनुसार तुरन्त चालू कर दी जायेगी।

यह पुनः स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे कृषक जो उसी कुएँ पर दूसरी मोटर लगाकर भार वृद्धि करते हैं अथवा दूसरे कुएँ पर, जो उसी खसरा/खेत परिसर/मुअणा में हो, दूसरी मोटर चलाने के लिए भार बढ़ाते हैं उन्हें इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।

यह योजना दिनांक 15 जून, 2009 से लागू होकर 14 सितम्बर 2009 तक प्रभावी रहेगी। इस योजना की सूचना/जानकारी उपभोक्ताओं को भी दे दी जावे।

*mf*

आज्ञा से,  
*(Signature)*  
(आर.जी. गुप्ता)  
अध्यक्ष (डिस्कॉम्स)

E:\AMEENA\Order-1.doc

Superintending Engineer (IT & CRP.)  
R. I. No. 1164 Date 17.6.09  
KEN(IT/CRP-I/CRP-II)@ccp,ssit/PA

*(Signature)*  
S.E. (IT & CRP)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक (वित्त) जयपुर डिस्कॉम, जयपुर।
2. निदेशक (तकनीकी) जयपुर डिस्कॉम, जयपुर।
3. सम्भागीय मुख्य अभियंता (संभाग/आर.पी) जयपुर डिस्कॉम, जयपुर/कोटा
4. उप मुख्य अभियंता (एम.एम) जयपुर डिस्कॉम, जयपुर
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (विजीलेन्स) जयपुर डिस्कॉम, जयपुर (30 अतिरिक्त प्रतियों सहित)
6. मुख्य कार्मिक अधिकारी, जयपुर डिस्कॉम, जयपुर
7. मुख्य लेखाधिकारी, जयपुर डिस्कॉम, जयपुर
8. उप मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता (पावर), रीको जयपुर
9. अधीक्षण अभियन्ता ( ), जयपुर डिस्कॉम, \_\_\_\_\_
10. सचिव, जयपुर डिस्कॉम, जयपुर
11. वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी ( ) जयपुर डिस्कॉम, \_\_\_\_\_
12. अधिशाही अभियन्ता ( ), जयपुर डिस्कॉम \_\_\_\_\_
13. अधिशाही अभियन्ता ( ), जयपुर डिस्कॉम \_\_\_\_\_ को उनके क्षेत्राधिकार वाले सहायक अभियन्ता / कनिष्ठ अभियन्ता / उप खण्डीय लेखाकार / लेखाकार के लिये 10 अतिरिक्त प्रतियों के साथ।
14. अधिशाही अभियन्ता (विद्युत) राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर
15. अधिशाही अभियन्ता ( ब्रीवेन्स ) जयपुर डिस्कॉम, जयपुर
16. कम्पनी सचिव, जयपुर डिस्कॉम / राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम, जयपुर
17. निजी सचिव, माननीय ऊर्जा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
18. निजी सचिव, सचिव (ऊर्जा), राजस्थान सरकार, जयपुर
19. निजी सहायक/तकनीकी सहायक, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक रा.वि.प्र.नि. जयपुर
20. निजी सहायक/तकनीकी सहायक, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, जयपुर डिस्कॉम, जयपुर
21. निजी सहायक - प्रबन्ध निदेशक, जोधपुर/अजमेर डिस्कॉम, जोधपुर/अजमेर
22. मिडिया सलाहकार, जयपुर डिस्कॉम, जयपुर।
23. जन सम्पर्क अधिकारी, जयपुर डिस्कॉम, जयपुर
24. वरिष्ठ लेखाधिकारी (सीएडब्ल्यू-III) ऐजी आडिट शोड न. 4/1 जयपुर
25. सहायक अभियन्ता ( ) जयपुर डिस्कॉम \_\_\_\_\_
26. क्षेत्रीय कमिश्नर, लोकपाल, मिनी सचिवालय, कलेक्ट्री के पास, जयपुर
27. अधीक्षण अभियन्ता (आई.टी. एवं आर.पी), जयपुर डिस्कॉम, जयपुर को निगम के आदेश को निगम की वेबसाइट पर डालने हेतु।
29. \_\_\_\_\_

मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य)

(IT-CRM)